न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
प्रशासन गांवो के संग अभियान/कोर्ट कैम्प शिविर – खोखरा
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 13/2021

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
गजेन्द्र पुत्र भगाराम जाति सीरवी निवासी खोखरा, तहसील सोजत, जिला पाली (राज0)।		1. सरकार जरिए (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार, सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956

उपस्थितिः–

1. श्री कैलाश दवे, कुन्दनमल एवं गोविन्द दवे, अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत प्रतिवादी स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक –05.10.2021

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा खोखरा पटवार हल्का खोखरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगडी तहसील सोजत में वादी एवं वादी के सगा भाई सुरेश एवं वादी के काका भोलाराम पुत्र कुनाराम की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि (वर्तमान खाता संख्या 86 पुराना खाता संख्या 94) खसरा नंबर 1092 रकबा 0.6700, खसरा नंबर 1350 रकबा 0.8400, खसरा नंबर 1413 रकबा1.0000, खसरा नंबर 1420 रकबा 2.3600, खसरा नंबर 1493 रकबा 0.7400, खसरा नंबर 1499 रकबा 0.8500, खसरा नंबर 1513 रकबा 0.6200 खसरा नंबर 1528 रकबा 0.1100, खसरा नंबर 980 रकबा 1.6700 कुल खसरा 09 कुल रकबा 8.8600 किस्म बा0अ0, चा0प्र0, जा0अ0, बजंड़ की कृषि भूमि स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का 3/8, वादी के काका भोलाराम का 1/4 एवं वादी के भाई सुरेश का 3/8 हक हिस्सा आता है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में वादी का नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी के सही एवं दस्तावेजी का अवलोकन किये बिना पेन ऑफ मिसटेक एवं सद्‌भाविक त्रुटिवश गजेन्द्र के स्थान पर गुणेश दर्ज कर दिया गया है। जबकि वक्त इन्द्राज वादी नाबालिग था। वादी के पिता का स्वर्गवास होने के पश्चात राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी का सही एवं दस्तावेजी नाम ईन्द्राज नहीं कर वदी के घर का लाड प्यार से पुकारे जाने वाला नाम गुणेश इन्द्राज कर दियां। वादी गजेन्द्र को घर परिवार रिश्तदारी, समाज में बचपन से लाड प्यार से गुणेश पुकारा एवं जाना पहिचाना जाता है तथा वादी की माता दाखुडी देवी अनपढ निरक्षर महिला होने एवं राजस्व रेकर्ड में उक्त दस्तावेजी सही नाम गजेन्द्र दर्ज नहीं होने की हुई त्रुटि के संबंध में जानकारी के अभाव में रेकर्ड में दुरस्ती की किसी प्रकार की कार्यवाही नही कर सकी। वादी की माता दाखुडी देवी का भी स्वर्गवास दिनांक 18.02.2017 को हो चुका है। गजेन्द्र एवं गुणेश दोनो एक ही व्यक्ति है। वादी के परिवार में गुणेश नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है तथा वादी के पहिचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी इत्यादि में वादी का सही व वास्तविक, दस्तावेजी नाम गजेन्द ही दर्ज है। जिससे भी यह तथ्य स्पष्ट है कि वादी का

उप खण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली) राज.

दस्तावेजी नाम गजेन्द ही दर्ज है। जिससे भी यह तथ्य स्पष्ट है कि वादी का नाम सही एवं दस्तावेजी नाम राजस्व रेकर्ड में गुणेश त्रुटिवश दर्ज किया गया। राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम गजेन्द्र के स्थान पर गुणेश दर्ज करने की जानकारी पूर्व से नही थी। वादी की माता अनपढ़, निरक्षर महिला होने व राजस्व रेकर्ड की जानकारी के अभाव में उक्त त्रुटि के संबंध में जानकारी पूर्व में नही हो पायी। अभी वर्तमान में दिनांक 01.12.2020 को वादी उपरोक्त कृशि भूमि पर ऋण की आवश्यकता होने से संबंधित पटवारी हल्का से संपर्क कर राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि चाहने हेतु कहने पर संबंधित पटवारी हल्का द्वारा वादी को उक्त कृषि भूमि में गजेन्द्र दर्ज न होकर गुणेश नाम दर्ज होने की जानकारी दी। जिस पर वादी द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रेकर्ड की वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि व अन्य पुरानी राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर वादी को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वक्त इन्द्राज संबंधित कर्मचारी के द्वारा वादी का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम गजेन्द्र दर्ज न कर गुणेश पैन ऑफ मिसटेक, सद्भाविक त्रुटि से दर्ज कर दिया गया, जो गलत है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी गुणेश के स्थान पर गजेन्द्र नाम दुरस्त किये जाने से राजस्व रेकर्ड के किसी अन्य सह खातेदारान पर किसी प्रकार को कोई विपरीत प्रभाव नही पडेगा और न ही किसी के खातेदारी अधिकार पर प्रभाव पडेगा तथा उक्त कृषि भूमि के अन्य सह खातेदारान वादी का सगा भाई सुरेश व काका भोलाराम है। जिनके भी उक्त रेकर्ड दुरस्ती की सहमति बाबत शपथपत्र सलग्न वाद पत्र है। इसलिये वादी वादस्थ भूमि के रास्व रेकर्ड में गुणेश के स्थान पर गजेन्द्र से खातेदारी घोषणा करवा कर रेकर्ड दुरस्त करवाने का कानूनन अधिकारी है। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी खातेदारी घोषणा एवं रेकर्ड दुरस्ती का पेश है। बिनायदावा वादस्थ कृषि भूमि में राजस्व कर्मचारियों के द्वारा वादी के बिना दस्तावेजात का अवलोकन किये वक्त इन्द्राज गजेन्द्र के स्थान पर गुणेश दर्ज कर देने से व वादी वक्त इन्द्राज नाबालिग होने व वादी की माता अनपढ, निरक्षर का पूर्व में जानकारी नही होने से व दिनांक 01.12.2020 को वादी द्वारा उक्त भूमि पर ऋण की आवश्यकता होने पर संबंधित पटवारी हल्का द्वारा वादी को उक्त कृषि भूमि में गजेन्द्र दर्ज न होकर गुणेश नाम दर्ज होने की जानकारी दी जिस पर वादी द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रेकर्ड की वर्तमान जमाबंदी एवं अन्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपियां दिनांक 21.12.20 को प्राप्त करने से वाद कारण बमुकाम खोखरा उत्पन्न हुआ जो वाद अंदर म्याद पेश किया है। वादी का नाम गजेन्द्र के स्थान पीर गुणेश दर्ज हो जाने से वादी को कई सरकारी, अर्द्धसरकारी विभाग में प्राप्त योजनाओ से वंचित होना पड रहा है व अन्य लाभो से वंचित होना पड रहा है। इसलिये वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी का नाम गुणेश के स्थान पर गजेन्द्र दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। उक्त राजस्व रेकर्ड में दुरस्ती के संबंध में वादी के द्वारा श्रीमान तहसीलदार सोजत के कार्यालय में भी निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा उक्त दुरस्ती नहीं करने से उक्त वाद इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। वादस्थ कृषि भूमि सरहद मोजा खोखरा में स्थित होने से व वाद खातेदारी घोषणा, रेकर्ड दुरस्ती को होने से श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है। प्रतिवादी तहसीलदार भूमि धारक होने से आवश्यक पक्ष्कार बनाया है तथा उक्त भूमि की सहखातेदारान के शपथपत्र वादी के समर्थन संलग्न वाद प्रस्तुत है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादि ने वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर वादस्थ सरहद मौजा ग्राम

उप खण्ड अधिकारी
(जिला-पाली) राज.

खोखरा (वर्तमान खाता संख्या 86 पुराना खाता संख्या 94) खसरा नंबर 1092 रकबा 0.6700, खसरा नंबर 1350 रकबा 0.8400, खसरा नंबर 1413 रकबा1.0000, खसरा नंबर 1420 रकबा 2.3600, खसरा नंबर 1493 रकबा 0.7400, खसरा नंबर 1499 रकबा 0.8500, खसरा नंबर 1513 रकबा 0.6200 खसरा नंबर 1528 रकबा 0.1100, खसरा नंबर 980 रकबा 1.6700 कुल खसरा 09 कुल रकबा 8.8600 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड के राजस्व रेकर्ड में दुरस्ती कर वादी गुणेश के 3/8 हक हिस्से के स्थान पर गजेन्द्र के नाम से खातेदार घोषित किये जाने की ईशतदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत ने ज0दा0 दिनांक 25.01.2021 को पेश कर वादग्रस्थ कृषि भूमि मौजा खोखरा में स्थित होना स्वीकार किया है। वाद–पत्र में वर्णित अन्य पैराज में वर्णित तथ्यों को वादी द्वारा स्वयं द्वारा सिद्ध किये जाने तथा कानूनी होना अंकित किया है। प्रस्तुत ज0दा0 की प्रति अधिवक्ता वादी को दिलाई गई, सामिल मिसल किया गया। न्याय निर्णय हेतु तहसीलदार सोजत को मौका व रेकॉर्डानुसार जॉच कर रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा रिपोर्ट पेश की गई, सा0मि0 है। तहसीलदार सोजत ने रिर्पोट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जमाबन्दी चौसाला (2075–78) के खाता नम्बर 86 के खसरा नम्बर 1092 सहित कुल खसरा 09 कुल रकबा 8.8600 हैक्टर में प्रार्थी का नाम गुणेश पुत्र भगाराम हिस्सा 3/8 की संयुक्त खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गुणेश पुत्र भगाराम ना0स0 416 के तहत दर्ज किया गया है। ना0सं0 416 के तहत प्रार्थी का नाम गुणेश पुत्र भगाराम क्रमशः जमाबंदी चौसाला अनुसार चलता आ रहा है। प्रस्तुत पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स दिनांक 16.09.2010 वोटर कार्ड पेनकार्ड के आधार पर प्रार्थी ने वास्तविक तथा दस्तावेज अनुसार अपना नाम गुणेश पुत्र भगाराम के स्थान पर गजेन्द्र पुत्र भगाराम बताया है। गांव के मौतबिरानों एवं मौजिज व्यक्तियो से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि " गुणेश पुत्र भगाराम" तथा " गजेन्द्र पुत्र भगाराम " एक ही व्यक्ति है अर्थात गजेन्द्र प्रार्थी का वास्तविक रेकार्डनुसार एवं सही नाम है।

पत्रावली आज दिनांक 05.10.2021 को प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 शिविर ग्राम पंचायत खोखरा में पेश हुई। अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी आज उपस्थित आए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र , फहरिस्त मय दस्तावेजात, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। उपस्थित उभय पक्षकारान को आज वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में सुना गया। अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के संलग्न दस्तावेजात प्रमाणित जमाबन्दी सम्वत् 2048–50, 2051–54, 2055–58, 2059–62, 2063–66, 2075–78 में भगाराम के फौत होने पर गुणेश नाम अंकित किया गया है किन्तु वास्तविक रूप से वादी का नाम वादी के आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, पहचान–पत्र, पेन कार्ड, वादी की माता का मृत्यु प्रमाण पत्र, सहखातेदार भोलाराम व भाई सुरेश के आधार कार्ड में अंकित वल्दियत भगाराम होना दर्ज है तथा चाचा भोलाराम एवं भाई सहखातेदारान सुरेश के तस्दीक सुदा शपथ–पत्र पेश किये, सा0 मिसल है। वस्तुतः प्रस्तुत वाद में वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्य सबूत के प्रस्तुत दस्तावेजात के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुतः शपथ पत्रों में वर्णित तथ्यो में स्वीकार किया तथा वादी के गलत रूप से गुणेश पुत्र भगाराम

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

भगाराम का वास्तविक रूप से नाम गजेन्द्र पुत्र भगाराम है। तहसीलदार सोजत ने भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि " गुणेश पुत्र भगाराम" तथा "गजेन्द्र पुत्र भगाराम " एक ही व्यक्ति हैं। उक्त प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथपत्र सह खातेदारान, व तहसीलदार सोजत की रिपोर्टानुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो की सम्पूष्टि बखूबी होने से उक्त विवादग्रस्त भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वास्तविक नाम गजेन्द्र पुत्र भगाराम दुरूस्त दर्ज किया जाना न्यायोचित है । लिहाजा वाद स्वीकार किाया जाना तथा उक्तानुसार गुणेश के स्थान पर गजेन्द्र दुरूस्त रूप से दर्ज किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम खोखरा (वर्तमान खाता संख्या 86 पुराना खाता संख्या 94) खसरा नंबर 1092 रकबा 0.6700, खसरा नंबर 1350 रकबा 0.8400, खसरा नंबर 1413 रकबा1.0000, खसरा नंबर 1420 रकबा 2.3600, खसरा नंबर 1493 रकबा 0.7400, खसरा नंबर 1499 रकबा 0.8500, खसरा नंबर 1513 रकबा 0.6200 खसरा नंबर 1528 रकबा 0.1100, खसरा नंबर 980 रकबा 1.6700 कुल खसरा 09 कुल रकबा 8.8600 हैक्टर तथा वर्तमान खाता संख्या 86 पुराना खाता संख्या 94 खसरा नंबर 1092 रकबा 0.6700, खसरा नंबर 1350 रकबा 0.8400, खसरा नंबर 1413 रकबा1.0000, खसरा नंबर 1420 रकबा 2.3600, खसरा नंबर 1493 रकबा 0.7400, खसरा नंबर 1499 रकबा 0.8500, खसरा नंबर 1513 रकबा 0.6200 खसरा नंबर 1528 रकबा 0.1100, खसरा नंबर 980 रकबा 1.6700 कुल खसरा 09 कुल रकबा 8.8600 हैक्टर किस्म बा0अ0, चा0प्र0, जा0अ0, बजंड के वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे वादी के सदभाविक मानवीय चूंक/भूलवश बोलचाल की भाषा का गलत रूप से दर्ज नाम गुणेश पुत्र भगाराम के स्थान पर गजेन्द्र पुत्र भगाराम जाति सीरवी सा0 देह खातेदार दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021
सोजत (शिविर) खोखरा

यह निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को सरे ईजलास प्रशासन गांवो के संग अभियान/कोर्ट कैम्प, अटल सेवा केन्द्र खोखरा में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021
सोजत शिविर – खोखरा

(आ०20 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री पर्चा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

प्रशासन गांवो के संग अभियान / कोर्ट कैम्प– शिविर खोखरा

पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1 गजेन्द्र पुत्र भगाराम जाति सीरवी निवासी खोखरा, तहसील सोजत, जिला पाली (राज0)।		सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956

राजस्व वाद संख्या :– 13/2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कताई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री कैलाश दवे , कुन्दनमल एवं गोविन्द दवे अधिवक्ता वादीगण एवं तहसीलदार सोजत प्रति0 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम खोखरा (वर्तमान खाता संख्या 86 पुराना खाता संख्या 94) खसरा नंबर 1092 रकबा 0.6700, खसरा नंबर 1350 रकबा 0.8400, खसरा नंबर 1413 रकबा1.0000, खसरा नंबर 1420 रकबा 2.3600, खसरा नंबर 1493 रकबा 0.7400, खसरा नंबर 1499 रकबा 0.8500, खसरा नंबर 1513 रकबा 0.6200 खसरा नंबर 1528 रकबा 0.1100, खसरा नंबर 980 रकबा 1.6700 कुल खसरा 09 कुल रकबा 8.8600 हैक्टर तथा वर्तमान खाता संख्या 86 पुराना खाता संख्या 94 खसरा नंबर 1092 रकबा 0.6700, खसरा नंबर 1350 रकबा 0.8400, खसरा नंबर 1413 रकबा1.0000, खसरा नंबर 1420 रकबा 2.3600, खसरा नंबर 1493 रकबा 0.7400, खसरा नंबर 1499 रकबा 0.8500, खसरा नंबर 1513 रकबा 0.6200 खसरा नंबर 1528 रकबा 0.1100, खसरा नंबर 980 रकबा 1.6700 कुल खसरा 09 कुल रकबा 8.8600 हैक्टर किस्म बा0अ0, चा0प्र0, गा0अ0, बजंड़ के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के सदभाविक मानवीय चूंके/भूलवश बोलचाल की भाषा का गलत रूप से दर्ज नाम गुणेश पुत्र भगाराम के स्थान पर गजेन्द्र पुत्र भगाराम जाति सीरवी सा0 देह खातेदार दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 05.10.2021 को आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान/कोर्ट कैम्प–अटल सेवा केन्द्र खोखरा जारी की गई।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021

उपखण्ड अधिकारी
सोजत शिविर-पाली राज.

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			